रेरा ने पीड़ित घर खरीदारों के 53 लाख वापस कराए

- बिल्डर के फ्लैट पंजीयन पर रेरा अध्यक्ष की एकलपीठ ने लगाई रोक
- एक अन्य मामले में राशि के लिए गुहार लगाई थी

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। रेरा बिहार ने सात मामलों में पीड़ित घर खरीदारों को 53 लाख वापस करवाए हैं। सुनवाई के दौरान बिल्डरों (प्रमोटरों) ने शेष राशि भी जल्द वापस कर देने की बात कही है।

वहीं एक बिल्डर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने आईजी रजिस्ट्रेशन, बिहार को प्रमोटर के प्रोजेक्ट के फ्लैटों के रजिस्ट्रेशन पर अगले आदेश तक रोक लगाने का निर्देश दिया। इस मामले में माधुरी तिवारी शिकायतकर्ता थीं। इधर अन्य मामले में पीड़ित सगीर आलम ने ब्याज सहित 35 लाख रुपये अरोमा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से वापस दिलाने की गुहार लगाई थी। सुनवाई के दौरान बिल्डर ने अदालत को बताया कि 20 लाख रुपये वापस कर दिए गए हैं। शेष राशि मार्च 2025 से 3 लाख रुपये प्रति माह की किस्तों में वापस की जाएगी। एक अन्य मामले में जैस्कॉन एंटरबिल्ड ने 16.06 लाख रुपये में से 11 लाख रुपये वापस कर दिए। इसी तरह रेरा ने काजरी इंफ्राटेक को निर्देश दिया था कि शिकायतकर्ता शोभा सिंह को ब्याज सहित 15.06 लाख रुपये वापस किए जाएं। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि अब तक 9 लाख वापस किए जा चुके हैं। अदालत ने मार्च तक शेष मूल राशि वापस करने का निर्देश दिया है। प्रमोटर पलवीराज कंस्ट्रक्शन ने एक मामले में आरती चौधरी को 5.50 लाख वापस कर दिए। रुक्मणी बिल्डटेक ने नूतन सिंह को 2 लाख वापस कर दिए।

राशि वापस नहीं करने पर लगा जुर्माना: रेरा अदालत के निर्देश के बाद भी शिकायतकर्ता बृज किशोर सिंह को 3 लाख वापस नहीं करने पर गृहवाटिका होम्स पर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया। इसके बाद बिल्डर ने तुरंत 50,000 रुपये वापस कर दिए। अदालत ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसी बिल्डर के एक अन्य मामले में 15 लाख रुपये में से 3 लाख रुपये वापस किए गए।